

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 276 / 2014 सत्रवाद

संस्थापित दिनांक 12-10-2015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. राजेश जाटव पुत्र भूरे कारीगर, उम्र 27 वर्ष।
निवासी अनूपगंज कलारी के पास, सैवड़ा, थाना
सैवड़ा, जिला दतिया म0प्र0
2. तिलकसिंह उर्फ कल्लू पुत्र जगराम जाटव, उम्र
23 वर्ष, निवासी ग्राम तोर, थाना हस्तनापुर,
जिला ग्वालियर म0प्र0

-----अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री एस0के0तिवारी
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्र0. 803 / 2014 इ0फौ0
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्र0 276 / 2014

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
आरोपीगण की ओर से श्री एस.एस. तोमर एवं श्री ए.पी.एस. तोमर अधि0

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 16-02-2017 को घोषित किया गया//

01. आरोपीगण राजेश व तिलकसिंह का विचारण धारा 363, 366, 376डी भा0दं0वि0 एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 07.06.2014 के करीब फरियादी की नावालिग पुत्री जो कि 16 वर्ष से कम उम्र की थी उसके विधि पूर्ण संरक्षक की संरक्षिता से बिना उसकी सहमति के ले गए/बहलाकर ले जाकर व्यपहरण किया गया। उन पर यह भी आरोप है कि उक्त पीडिता का व्यपहरण/अपहरण अयुक्त संभोग करने के लिए उसे विवश या बिलुब्ध कर या यह

संभाव्य जानते हुए कि अयुक्त संभोग करने के लिए उसे विवश या बिलुब्ध किया जावेगा उसका व्यपहरण किया। उन पर यह भी आरोप है कि उक्त अभियोक्त्री जो कि नावालिग स्त्री है के साथ सामूहिक बलात्संग किया। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक व उसके करीब पीडिता जो कि नावालिग स्त्री है के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 07.06.2014 को फरियादी जो कि ग्राम टुडीला का रहने वाला है अपनी ससुराल सिहोनियाँ जा रहा था, जैसे ही वह बाराहेट पेड़ा पर पहुँचा तो उसकी पत्नी ने उसे टेलीफोन से बताया कि उसकी पुत्री घर पर नहीं है कोई उसे बहलाफुसलाकर ले गया है। फरियादी वहाँ से बापस आया और गांव में आकर लडकी की तलाश की गई और रिस्तेदारों के यहाँ भी उसका पता किया गया, किन्तु उसका कोई पता नहीं चला, वह सुबह 09:30 बजे कहीं चली गई। लडकी लाल रंग का कुर्ता और सलवार पहने हुए थी और उसके पास मोबाइल भी था। उसकी उम्र 16 वर्ष की थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना मालनपुर में दिनांक 12.06.2014 को प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 135/14 धारा 363 भा0दं0वि0 एवं धारा 3,5 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना दिनांक 21.07.2014 को अभियोक्त्री की दस्तयावी जो कि आरोपी राजेश के आधिपत्य से थाना मालनपुर में की गई थी। अभियोक्त्री का कथन लेखबद्ध किया गया एवं उसका मेडीकल परीक्षण कराया गया। अभियोक्त्री को उसके पिता के संरक्षण में दिया गया। आरोपी राजेश जाटव की गिरफ्तारी की गई। पीडिता का धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन लेखबद्ध कराया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। पीडिता के कपड़े, स्लाइड आदि की जप्ती की गई। पीडिता जो कि घटना के समय नावालिग थी और सहमति देने में सक्षम नहीं थी उसे आरोपी की द्वारा उसकी वैध संरक्षता से ले जाने और उसके साथ विवाह करने हेतु या अयुक्त संभोग करने के लिए विवश विलुब्ध करने हेतु ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने के परिप्रेक्ष्य में अपराध सिद्ध पाए जाने से धारा 366, 376 का इजाफा किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी राजेश के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03. प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोक्त्री के कथन व प्रकरण में आई अन्य साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय के द्वारा अभियोजन के आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 319 जा0फौ0 को स्वीकार करते हुए अन्य सहआरोपी तिलकसिंह के भी उपरोक्त घटना में शामिल होने और उसके द्वारा घटना कारित करना पाये जाने से उसके विरुद्ध भी उपरोक्त अपराध के संबंध में

संज्ञान लिया गया। आरोपी तिलका के उपस्थित होने पर उसके विरुद्ध धारा 363, 366, 376डी भा0दं0वि0 एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का आरोप लगाया गया। घटना सामूहिक बलात्संग की होने से आरोपी राजेश जाटव के विरुद्ध पूर्व में लगाए गए आरोप में संशोधन किया जाकर सामूहिक बलात्कार के संबंध में भी आरोप लगाया गया।

04. विचारित किए जा रहे आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 363, 366 376डी भा0दं0वि0 एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोष होना अभिकथित करते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव में बचाव साक्षी जगराम ब0सा0 1 का कथन कराया गया है।

06. आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या घटना दिनांक 07.06.2014 को अभियोक्त्री 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिग थी?
2. क्या आरोपीगण के द्वारा दिनांक 07.06.2014 को या उसके करीब फरियादी की नावालिग पुत्री जो कि 16 वर्ष से कम उम्र की थी उसके विधि पूर्ण संरक्षक की संरक्षता से बिना उसकी सम्मति के ले गए/बहलाकर ले जाकर व्यपहरण किया गया?
3. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर पीडिता का व्यपहरण/अपहरण अयुक्त संभोग या विवाह करने के लिए उसे विवश या बिलुब्ध करने या यह संभाव्य जानते हुए कि अयुक्त संभोग या विवाह करने के लिए उसे विवश या बिलुब्ध किया जावेगा उसका व्यपहरण किया?
4. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय या उसके करीब अभियोक्त्री जो कि नावालिग स्त्री है के साथ सामूहिक बलात्संग किया?
5. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक व उसके करीब पीडिता जो कि नावालिग स्त्री है के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 01 :-

07. सर्वप्रथम घटना के समय पीडिता की उम्र का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में घटना के फरियादी अ0सा0 2 जो कि पीडिता का पिता है के द्वारा उसकी पुत्री की उम्र 16 वर्ष की होना बताई है। इस संबंध में पुत्री के जन्म के संबंध में जन्मप्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पुलिस को देना जो कि प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 6 में उसकी जन्मतिथि दिनांक 09.09.1998 अंकित होना उसके द्वारा बताया गया है। इस बिन्दु पर साक्षिया केसोबाई अ0सा0 10 जो कि अभियोक्त्री की माँ है के द्वारा अपने साक्ष्य दिनांक को उसकी पुत्री 16 वर्ष की उम्र पूरी कर 17 साल में लगनी बताई है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 में भी घटना के समय पीडिता की उम्र 16 साल की होना स्पष्ट रूप से बताया गया है।

08. सर्वप्रथम पीडिता की उम्र के संबंध में उसके माता पिता की मौखिक साक्ष्य का जहाँ तक प्रश्न है, दोनों द्वारा घटना के समय पीडिता की उम्र 16 वर्ष की होनी बताई गई है। इस बिन्दु पर पीडिता की माँ केसो बाई अ0सा0 10 के द्वारा प्रतिपरीक्षण में बताया गया है कि पीडिता उसकी सबसे बड़ी पुत्री है और इस सुझाव को इन्कार किया है कि उसकी पुत्री की उम्र 22 साल की है। साक्षिया के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उसकी शादी को 20 साल हुए है और अपनी उम्र वह 35 साल की होनी बताई है और शादी के 4-5 साल बाद अभियोक्त्री पैदा हुई है। कंडिका 5 में उसकी लडकी शासकीय प्रसूत ग्रह मुरार में पैदा होना उसके द्वारा बताया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षिया के कथन के आधार पर उसके प्रतिपरीक्षणा में आए हुए कथनों के परिप्रेक्ष्य में पीडिता की उम्र के संबंध में उसके द्वारा मुख्य परीक्षण में किए गए कथन प्रतिखण्डित नहीं होता है।

09. इस संबंध में रिपोर्टकर्ता/पीडिता के संरक्षक दामोदर अ0सा0 2 को प्रतिपरीक्षण कंडिका 8 में उसके बच्चों के जन्म के अंतराल के संबंध में पूछे जाने पर भी इस संबंध में उसके मुख्य परीक्षण में किए गए कथन प्रतिखण्डित नहीं होते हैं। इस संबंध में पीडिता अ0सा0 1 को पूछे जाने पर उसने कंडिका 6 में बताया है कि वह अपने माता पिता की बड़ी संतान है, किन्तु इस संबंध में उसके कथन के आधार पर घटना के समय वह 18 वर्ष से अधिक उम्र की हो गई हो ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। यद्यपि मौखिक साक्ष्य के आधार पर पीडिता के जन्मतिथि के संबंध में कोई अंतिम निर्धारण नहीं किया जा सकता है, इस बिन्दु पर दस्तावेजी साक्ष्य एवं कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाना उचित होगा।

10. आयु के अवधारण के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाली अपेक्षित साक्ष्य का जहाँ

तक प्रश्न है, इस संबंध में आयु के विषय में उपधारणा और उसके अवधारण बावत् धारा 94 किशोर न्याय (बालकों के देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015) की धारा 94(2) में दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि उम्र के अवधारण के संबंध में— (1) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र यदि उपलब्ध हो। (2) और उसके अभाव में निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र। (3) उपरोक्त फर्स्ट और सेकण्ड के अभाव में आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर किए गए अस्थि जाँच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जाएगा।

11. पीडिता की उम्र के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जन्मप्रमाणपत्र पेश किया गया है जो कि उक्त जन्मप्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 6 होना बताया है। उपरोक्त जन्म प्रमाणपत्र प्र.पी. 6 जो कि ग्राम पंचायत टुडीला जनपद पंचायत गोहद के द्वारा जारी किया गया है। इस संबंध में अभियोजन के द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने वाले ग्राम पंचायत टुडीला के सचिव जबाहरसिंह अ0सा0 3 के कथन कराए हैं, जिनके द्वारा यह बताया गया है कि पीडिता के पिता के द्वारा दिनांक 02.03.2007 को तहसीलदार कार्यालय गोहद में अपनी लडकी/पीडिता के जन्मप्रमाणपत्र का पंजीयन कराने के लिए दिया था जो कि उनके द्वारा इस संबंध में जन्मप्रमाणपत्र जारी किया गया था जो कि उस पर उनकी शील लगी है और जन्मप्रमाणपत्र प्र.पी. 6 है जो कि उनके द्वारा जारी किया गया है, जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं और उक्त प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी भी उनके द्वारा प्रमाणित की गई है। उक्त जन्मप्रमाणपत्र के अनुसार पीडिता की जन्म दिनांक 09.09.1998 अंकित है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के द्वारा स्पष्ट किया है कि तहसीलदार के द्वारा आवेदनपत्र उनके पास भेजा गया था जिस आधार पर उन्होंने जन्म प्रमाणपत्र जारी किया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं आया है कि उन्होंने जन्म प्रमाणपत्र किसी प्रक्रिया के बाहर जाकर जारी किया हो अथवा जन्मप्रमाणपत्र जारी करने में किसी प्रकार की अनियमितता की गई हो। इस प्रकार प्र. पी. 6 का दस्तावेज जो कि अभियोक्त्री का जन्म प्रमाणपत्र है वह विधिवत उसे जारी कर्ता अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया गया है, जिसके अनुसार पीडिता की जन्म तिथि दिनांक 09. 09.1998 होना स्पष्ट होती है।

12. बचाव पक्ष अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि उपरोक्त जन्मप्रमाणपत्र को घटना के बाद गलत रूप से तैयार कराया गया है। पीडिता जो कि विद्यालय में पढ़ी है, उसके विद्यालय में प्रवेश से संबंधित दस्तावेज जो कि इस संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकती थी पेश कर प्रमाणित नहीं कराया गया है। बचाव पक्ष अधिवक्ता ने

यह भी व्यक्त किया कि उसके जन्म के संबंध में कोई भी ऑसिफिकेशन या मेडीकल टैस्ट नहीं कराया गया है, जिससे कि उसकी उम्र के संबंध में सही पता लग सके। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा **2003(3) एम.पी.एच.टी. 284 माखन वि० स्टेट ऑफ म.प्र.** की इंटरनेट कॉपी पेश की गई है।

13. उपरोक्त संबंध में यद्यपि यह सत्य है कि पीडिता के द्वारा कक्षा 4 तक गांव के विद्यालय में पढ़ना उसने अपने कथन में स्वीकार किया है और इस संबंध में पीडिता के पिता अ०सा० 2 के द्वारा भी पीडिता को शासकीय स्कूल जो कि गांव में है उसमें भर्ती कराना बताया है, जहाँ कि वह 4 या 5 तक पढ़ना अभिकथित किया है, किन्तु साक्षी यह बताया है कि उसे याद नहीं है कि उसने कौन से सन् में लड़की को स्कूल में भर्ती कराया था। इस संबंध में स्कूल में भर्ती से संबंधित कोई भी दस्तावेज अभियोजन के द्वारा पेश कर प्रमाणित नहीं कराया गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि पीडिता के स्कूल में भर्ती करने से संबंधित कोई भी दस्तावेज अभियोजन की ओर से पेश कर प्रमाणित नहीं कराया गया है, यह उसके जन्म प्रमाणपत्र में उसकी जन्मतिथि जो कि 09.09.1998 अंकित है को प्रतिखण्डित करने या उसे असत्य मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष के द्वारा पीडिता के जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र में जो उसकी जन्मतिथि अंकित है उसे प्रतिखण्डित करने हेतु कोई भी प्रमाण या साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे कि जन्म प्रमाणपत्र प्र.पी. 6 में उसकी उल्लेखित जन्मतिथि प्रतिखण्डित होती हो। बचाव पक्ष उसके विद्यालय से संबंधित भर्ती दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त कर पेश कर सकता था और इस संबंध में संबंधित विद्यालय के रिकार्ड को प्रमाणित कराकर इस तथ्य को प्रतिखण्डित कर सकता था, किन्तु ऐसा भी साक्ष्य बचाव पक्ष की ओर से पेश नहीं किया गया है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आधार पर जिसके कि तथ्य एवं परिस्थितियाँ वर्तमान प्रकरण से भिन्न है आरोपीगण को कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।

14. बालकों के लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उम्र के संबंध में जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **महादेव वि० स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2013)14 एस.सी.सी. 637 एण्ड स्टेट ऑफ एम.पी. वि० अनूपसिंह 2015 सुप्रीम (एस.सी.) 676** में यह स्पष्ट किया है कि पीडिता की उम्र के संबंध में भी **जुविनायल जस्टिस एक्ट** के नियम लागू किये जा सकते हैं। इस संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 94(2) के अनुसार जन्मप्रमाणपत्र उम्र के संबंध में निर्धारक होगा। यदि पीडिता की उम्र के संबंध में स्कूल से कोई प्रमाणपत्र पेश नहीं किया गया है तो मात्र इस आधार पर विधिवत जारी जन्मप्रमाणपत्र को फर्जी मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। यह भी उल्लेखनीय

है कि उक्त अधिनियम में यह प्रावधानित किया गया है कि स्कूल प्रमाणपत्र अथवा जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त न होने की दशा में ही उम्र निर्धारण हेतु ऑसिफिकेशन टैस्ट या उम्र जाँच के संबंध हेतु कोई नवीनतम मेडीकल जाँच आवश्यक होगी। इस परिप्रेक्ष्य में यदि उम्र जाँच के संबंध में कोई ऑसिफिकेशन टैस्ट व मेडीकल जाँच से संबंधित कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है इससे जन्मप्रमाणपत्र में उल्लेखित उम्र किसी प्रकार से प्रतिखण्डित होनी नहीं कही जा सकती है। घटना दिनांक 07.06.2014 की है और जन्मप्रमाणपत्र के अनुसार पीडिता की जन्म तिथि दिनांक 09.09.1998 अंकित है। इस प्रकार घटना दिनांक को पीडिता की उम्र 15 वर्ष 09 माह 27 दिन की होकर वह नावालिग होना प्रमाणित पाई जाती है।

बिन्दु क्रमांक 2 लगायत 5:-

15. धारा 363 भा0दं0वि0 जो कि भारत से या विधिपूर्ण संरक्षकता से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करने के संबंध में दण्ड का प्रावधान करती है। व्यपहरण को धारा 361 भा0दं0वि0 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसके लिए निम्न आवश्यक तथ्य हैं— (1) किसी अप्राप्तव्य को यदि वह नर हो तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को और यदि वह नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को या विकृत्तचित्त व्यक्ति को। (2) विधि पूर्ण संरक्षकता से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाया जाता है या बहलाकर ले जाया जाता है।” धारा 366 भा0दं0वि0 के अपराध की प्रमाणिकता हेतु किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से या विवश करने अथवा समभाव्य जानते हुए कि उसे अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध किया जाना आवश्यक है। धारा 376(डी) भा.द.वि0 जो कि सामूहिक बलात्कार के संबंध में प्रावधान करता है, उसके लिए किसी समूह के सदस्यों अथवा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा बलात्कार किया जाना आवश्यक है।

16. पीडिता जो कि नावालिग होना प्रमाणित है वह अपने पिता के संरक्षण में ग्राम टुडीला गोहद में रहती थी। इस संबंध में पीडिता के पिता अ0सा0 2 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया गया है कि घटना दिनांक 07.06.2014 को वह अपनी ससुराल सिहोनियाँ जा रहा था और वह बाराहेट पेडा पर पहुँचा तो उसकी पत्नी ने फोन किया कि पीडिता घर पर नहीं है। उक्त सूचना पर वह रास्ते से ही अपने गांव बापस लौट आया और लडकी को ढूँढा, किन्तु वह नहीं मिली, फिर वह थाना मालनपुर पर भी गया था और उनको लडकी के गुमने के बारे में बताया था तो उन्होंने कहा था कि 2-4 दिन लडकी को ढूँढ लो नहीं मिलेगी तो रिपोर्ट लिखेंगे। उसने लडकी को ढूँढने की कोशिश की, लेकिन लडकी नहीं मिली तब दिनांक 12.06.2014 को थाने पर लडकी के गुमने की रिपोर्ट लिखी थी जो कि रिपोर्ट प्र.पी. 1

है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने गांव में आकर लिखापट्टी की जो कि नक्शामौका प्र.पी. 2 उनके द्वारा बनाया गया था। उपरोक्त संबंध में पीडिता की माँ अ0सा0 10 के द्वारा भी लडकी के गुम जाने और लडकी को ढूँढने तथा थाने पर सूचना देने और थाने वालों के द्वारा उनकी रिपोर्ट बाद में 12 तारी को लिखना बताई है।

17. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि थाना मालनपुर में दिनांक 12.06.2014 को दर्ज की गई है, उसमें भी दिनांक 07.06.2014 को लडकी के घर से चले जाने और उसे ढूँढने के संबंध में तथ्य आया है जो कि रिपोर्ट लेखक तत्कालीन थाना प्रभारी शेरसिंह अ0सा0 7 के कथन से भी स्पष्ट होता है। पीडिता की दस्तयावी दिनांक 21.07.2014 को थाना मालनपुर में की गई है जो कि उसकी बरामदगी आरोपी राजेश जाटव के कब्जे से ही किया जाना और दस्तयावी पंचनामा प्र.पी. 3 तैयार करना विवेचनाधिकारी डिम्पल मौर्य अ0सा0 9 के द्वारा बताया गया है और पीडिता के पिता अ0सा0 2 के द्वारा भी दस्तयावी का समर्थन किया है। इस प्रकार पीडिता जो कि नावालिग थी उसके पिता की संरक्षिता से चला जाना स्पष्ट होता है। अब विचारणीय यह हो जाता है कि – क्या पीडिता का अपहरण/व्यपहरण करने का कार्य एवं उसे अयुक्त संभोग करने हेतु या विवाह करने के लिए विवश या बिलुब्ध करने का कृत्य आरोपीगण के द्वारा किया गया? क्या पीडिता के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना आरोपीगण के द्वारा की गई? क्या पीडिता जो कि नावालिग स्त्री है के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला आरोपीगण के द्वारा किया गया?

18. घटना की पीडिता/अभियोक्त्री अ0सा0 1 अपने साक्ष्य कथन में आरोपी राजेश की स्पष्ट रूप से पहचान की है तथा आरोपी तिलका की भी उसके द्वारा स्पष्ट रूप से पहचान की गई है। पीडिता के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि घटना दिनांक को उसके पिता अपनी ससुराल सिहोनियाँ गए थे, उसकी माँ ने उसे गांव के जीतू ठाकुर की चक्की से आटा उठाने के लिए कहा था, उसने जीतू की पत्नी को 1000/- रुपए दिए थे, जब वह आटा उठाने गई थी तो उसने अपने 1000/- रुपए मांगे तो जीतू और उसकी पत्नी ने उससे मोबाइल में बैलेंस कराने के लिए कहा था और उसे नई सिम देने लगे और यह कहा कि उसे नई सिम दिला देंगे। उसने कहा कि वह नई सिम नहीं लेगी उसे 1000/- रुपए दे दो और उसके बाद उसने उनसे झगडा कर 1000/- रुपए मांगे तो उन्होंने कहा कि प्रसाद खा लो, जब उसने प्रसाद खाया तो वह वेहोश हो गई थी। साक्षिया के द्वारा आगे यह भी बताया है कि उसे करीब 20 मिनट बाद होश आया तो उक्त लोगों ने ग्राम तोर के तिलकसिंह से मोबाइल पर बात कराई। जीतू और उसकी पत्नी ने आटे का कट्टा छार ले जाने के लिए कहा था और घर से 1,25,000/- रुपए जो कि उसकी पिता ने खेत

बैचकर घर में रखे हुए थे और मोबाइल लाने को कहा था, उनके बहकावे में आकर वह रूपए और मोबाइल लेकर आ गई और गुरीखा चौकी पर उसे जीतू ले गया, वहाँ पर आरोपी तिलका और राजेश मोटरसाइकिल से आ गए। उक्त दोनों अर्थात् तिलका और राजेश को उसने 1,25,000/- रूपए एवं मोबाइल दे दिये। उसके बाद उसे मोटरसाइकिल में बैठाकर तिलका और राजेश डबरा ले गए, डबरा से उसे उक्त दोनों लोग ग्राम सीकरी जिला जालौन ले गए थे जो कि गांव का नाम बता रहे थे इस कारण उसे गांव का नाम मालूम चला था।

19. साक्षिया के द्वारा आगे यह भी बताया गया है कि ग्राम सीकरी में पहुँचकर आरोपी राजेश व तिलका ने उसके साथ उसकी मर्जी के बिना गलत काम कर बलात्कार किया और उनके द्वारा उसे धमकी भी दी गई कि किसी को बताएगी तो मार देंगे। उक्त आरोपी राजेश और तिलका ग्राम सीकरी से उसे ग्राम स्योंडा ले आए थे, जहाँ पर कि राजेश का घर है। स्योंडा में राजेश ने उसे 4-5 दिन तक अपने यहाँ रखा वहाँ पर तिलका भी उसके साथ था। स्योंडा में भी आरोपी राजेश व तिलका ने उसके साथ गलत काम बलात्कार किया था और उसे धमकी भी दी थी। साक्षिया ने आगे यह भी बताया है कि आरोपी तिलका उसे ग्राम तोर ले गया था जो कि उसे अकेले ले गया था। ग्राम तोर में उसने अपने पिता व माता के पैर छुवाए थे और पैर न छूने पर चांटा भी मारा था। उसके पिता ने कहा था कि बहू बनकर आई है तो पैर क्यों नहीं छूती है और उसने भी धमकी दी। ग्राम तोर में आरोपी तिलका ने उसके साथ बलात्कार किया। उसे 4-5 दिन तक ग्राम तोर में आरोपी रखा था। साक्षिया ने आगे यह भी बताया है कि आरोपी तिलका उसे ग्राम तोर से स्योंडा ले आया और स्योंडा आरोपी राजेश भी मिल गया था। उक्त दोनों को यह पता चला कि तिलका के पिता को पुलिस ने पकड़ लिया है तो उन्होंने उससे कहा था कि सही बात मत बताना और अपने पिता के साथ मत जाना। उसे धमकी भी दी थी कि यदि घटना किसी को बताई तो उसे व उसके परिवार को जान से मार देंगे।

20. अपने साक्ष्य कथन में साक्षिया ने आगे यह भी बताया है कि उसे आरोपी राजेश और तिलका स्योंडा से कोंच भी ले गए थे। कोंच में राजेश के साथ जबरदस्ती उसके फोटो खिंचाई थी और उसके मन मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कराई थी और धमकी देकर कागजों पर दस्तखत कराए थे, फिर उसे कोंच से स्योंडा ले आए। उक्त लोगों ने धमकी दी थी कि थाने में सही घटना मत बताना नहीं तो परिवार वालों को मार देंगे। उसे थाना मालनपुर में राजेश ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ आकर हाजिर करा दिया था। उसने थाना प्रभारी को जैसी घटना न्यायालय में बताई थी वैसी ही बताई थी, किन्तु थाना प्रभारी ने कहा था कि सही घटना मत बताओ आरोपीगण को बचाना है क्योंकि वह उनके रिस्तेदार है।

उसके द्वारा जो बात बताई जा रही है वह न बताए, दूसरी बात लिख दी थी। उसे यह भी धमकी दी गई थी कि कोर्ट में सही वयान देगी तो उसे मार देंगे। कोर्ट में भी पहले उनके आदमी पहुँच गए थे। उनकी धमकी के कारण कोर्ट में भी सही बात नहीं बता पाई थी। उक्त लोग यह कह रहे थे कि उसे नारी निकेतन पहुँचवा देंगे और वहाँ से निकलवा लेंगे। उसके पिता उसे भिण्ड से अपने साथ ले लिए थे और उसे नारी निकेतन नहीं भेज पाए थे। घर आकर वह आरोपीगण से भयभीत थे इस कारण अपने पिता से 4-5 दिन बाद सही घटना बता पाई थी। तत्पश्चात् उसके पिता ने एस.पी. के पास आवेदनपत्र दिया था फिर उसे मेडीकल परीक्षण के लिए भेजा था।

21. अभियोक्त्री के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा पुलिस को कोई वयान न देना और थाने पर पदस्थ किसी महिला एस.आई. के द्वारा उसका कोई वयान लेखबद्ध न करना बताई है तथा प्रकरण में संलग्न पुलिस कथन प्र.डी. 1 के ए से ए भाग एवं बी से बी भाग का कथन पुलिस को न देना उसके द्वारा बताया गया है। इसी प्रकार मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए कथन प्र.डी. 2 के संबंध में यद्यपि उसके द्वारा कथन देना व्यक्त किया है, किन्तु उसके द्वारा उक्त वयान अपनी मर्जी से न देना और भय के कारण उक्त प्रकार का कथन देना उसके द्वारा बताया गया है। कंडिका 7 में भी बताई है कि उसे आरोपियों का डर था और डर के कारण उसने अपने माता पिता को आते ही घटना के संबंध में नहीं बताया था। यह उल्लेखनीय है कि अभियोक्त्री के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पर जो कथन किया गया है उन कथनों में तथा उसके द्वारा कथित रूप से पुलिस को दिए गए कथनों में लोप आया है, किन्तु इस संबंध में अभियोक्त्री के द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि उसने पुलिस को ऐसा ही कथन दिया था जैसा कि वह न्यायालय में कथन कर रही है और पुलिस वालों ने व थाना प्रभारी के द्वारा आरोपियों से अपनी हितबद्धता के कारण और उनके प्रभाव में आकर जैसा उसने बताया था वैसा नहीं लिखा था। कंडिका 8 में साक्षिया स्पष्ट की है कि जब वह मजिस्ट्रेट के समक्ष वयान देने आई थी उसके पूर्व भी आरोपी पा के द्वारा उसे धमकी दी गई और यह कहा गया था कि जैसा टी. आई. ने कहा है उसी अनुसार वयान देना। कंडिका 10 में साक्षिया के द्वारा यह बताया गया है कि उसकी शादी आरोपी तिलका के साथ हुई थी और वह पत्नी बनकर उसके साथ रही थी और तिलका के साथ उसकी शादी राजेश के घर ग्राम स्योंढा में हुई थी। कोंच में राजेश के साथ उसके फोटो खिंचाए गए थे, उसको महिलाओं के कपडे पहना दिए गए थे। उसे यह सुझाव दिए जाने पर कि तिलका को बचाने के लिए क्योंकि वह शादीशुदा नहीं है उसे सजा न हो जाए इस कारण राजेश के द्वारा घटना की जानी लिखाई गई है, साक्षिया ने स्वीकार

किया है। स्वतः साक्षिया ने स्पष्ट रूप से बताया है कि राजेश ने भी उसके साथ बुरा काम किया था, चूंकि राजेश शादीशुदा था और वह तिलका को बचाना चाहता था इसलिए राजेश का ही नाम लिखाया गया था। उक्त संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा अभियोक्त्री से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं लिया था।

22. कंडिका 11 में साक्षिया को यह सुझाव दिया गया है कि आरोपीगण के साथ जाते समय डबरा स्योंडा, कोंच और तोर में वह चिल्लाई नहीं थी और किसी को अपनी सहायता के लिए नहीं कहा था स्वीकार किया है। उक्त तथ्य इस बात को स्पष्ट करता है कि आरोपी पीडिता को अपने साथ विभिन्न स्थानों पर ले गए थे। साक्षिया ने स्वतः में कहा है कि उसे डराते धमकाते थे। इस बात को भी स्वीकार की है कि राजेश की पत्नी पहले से थी और उसकी पत्नी भी नहीं चाहती थी कि राजेश की शादी हो जाए। स्वतः में उसके द्वारा यह भी बताया गया है कि उसकी पत्नी अपने भाई तिलका को बचाना चाहती थी। साक्षिया इस सुझाव से इन्कार की है कि आरोपी राजेश ने उसके साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया और उसके द्वारा स्पष्ट किया है कि राजेश ने भी उसके साथ बुरा काम किया था।

23. आरोपी तिलका के संबंध में प्रतिपरीक्षण में घटना के पहले से वह तिलका को पहचानना स्वीकार की है और गुरीखा चौकी पर उसे तिलका मिलना बता रही है। प्रतिपरीक्षण कंडिका 19 में बताई है कि वह मोटरसाइकिल से स्योंडा से तिलका और राजेश मुरार तक आए थे और इस सुझाव से इन्कार की है कि तिलका ने उसके साथ कोई बुरा काम नहीं किया था, वह तिलका के खिलाफ झूठा वयान दे रही है।

24. अभियोक्त्री के उपरोक्त साक्ष्य कथन का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में यद्यपि अभियोक्त्री के द्वारा चक्की पर आटा लेने जाना और वहाँ पर चक्की के मालिक जीतू और उसकी पत्नी से पैसे के लेन देन पर विवाद होना और विवाद होने के दौरान ही उनके द्वारा उसे प्रसाद खिला देना और उससे उसके वेहोश हो जाना और उसके थोड़ा होश में आने पर उसे आरोपी तिलका से बात करवाना और उसे घर से 1,25,000/- रूपए लेकर आने के संबंध में साक्षिया के द्वारा जो कथन किया जा रहा है वह कथन कदापि स्वभाविक भी नहीं लगता है, जिन व्यक्तियों से वह झगडा विवाद होना कह रही थी उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद खाकर वह उनके कहने पर घर से सवा लाख रूपए लेकर आना का कथन भी अतिसंयोजित पूर्ण व अस्वभाविक लगता है। इस संबंध में उसका चक्की पर जीतू और उसकी पत्नी से कोई विवाद हुआ था का तथ्य किसी भी अन्य साक्ष्य से सम्पुष्ट नहीं है। निश्चित तौर से चक्की जो कि गांव में ही स्थिति है जहाँ पर कि अन्य लोगों के भी होने की अपेक्षा की जा सकती है। यदि कोई विवाद हुआ था तो इस संबंध में कोई अन्य साक्ष्य हो सकता था।

25. जहाँ तक 1,25,000/- रुपए घर में रखे होने का प्रश्न है, इस संबंध में यद्यपि अभियोक्त्री के द्वारा उसके पिता ने खेत बैचकर घर में रखा होना बताया है और इस संबंध में उसके पिता अ०सा० 2 के द्वारा यह बताया गया है और अभियोक्त्री की माँ अ०सा० 10 के द्वारा भी 1,25,000/- रुपए के संबंध में बताया है, किन्तु उक्त 1,25,000/- रुपए कहाँ से एवं किस जमीन को बैचकर आए और कहाँ पर रखे हुए थे ऐसा कोई भी प्रमाण अभियोजन की ओर से पेश नहीं किया गया है। निश्चित रूप से यदि कोई जमीन बैची गई है तो इस संबंध में दस्तावेज इस तथ्य की सम्पुष्टि के संबंध में पेश किया जा सकता था। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि पीडिता के पिता के द्वारा घटना के पश्चात् दर्ज कराई गई है उसमें भी कहीं घर से रुपए ले जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में पीडिता के द्वारा घटना के संबंध में कथित रूप से चक्की वाले एवं उसकी पत्नी के संबंध में वह 1,25,000/- रुपए घर से लाकर देने के संबंध में जो कथन किया जा रहा है वह विश्वास योग्य नहीं पाया जाता है।

26. उपरोक्त संबंध में अभियोक्त्री के द्वारा किया गया कथन सही होना नहीं पाया गया है, किन्तु "एक बात पर असत्य सब बात में असत्य" "**Falsus in uno, Falsus in omnibus**" का सिद्धांत भारतीय न्याय व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। मात्र इस आधार पर कि साक्षी के साक्ष्य कथन का कुछ भाग सत्य होना नहीं पाया गया है, उसका सम्पूर्ण कथन झूठा मानने का आधार नहीं हो सकता। किसी साक्षी के कथन को न्यायालय के द्वारा एक बिन्दु पर विश्वासयोग्य नहीं पाया गया हो तो यह उसके सम्पूर्ण कथन पर अविश्वास करने का आधार नहीं हो सकता है। न्यायालय का यह दायित्व है कि वह अनाज को भूसे से प्रथक करे। जैसा कि इस संबंध में **जेकी वि० स्टेट 2007 सी.आर.एल. जे. 1671, हरीशचन्द्र वि० स्टेट ऑफ दिल्ली ए.आई.आर 1996 एस.1477, कालीगुरम पदियाराय वि० स्टेट ऑ ऑन्ध्रप्रदेश ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 1299** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिधारित किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना उचित होगा।

27. अभियोक्त्री जो कि घटना के समय 15-16 साल के बीच की होकर नावालिग है। निश्चित तौर से वह घटना के समय अपनी सहमति देने में सक्षम नहीं थी, उसे उसके पिता की विधि पूर्ण संरक्षिता से ले जाने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में अभियोक्त्री के द्वारा गुरिखा चौकी से आरोपी तिलका और राजेश के द्वारा उसे मोटरसाइकिल में बैठाकर ले जाना बताया गया है और उसके पश्चात् ही उसके साथ उनके द्वारा बलात्कार करने और उसके साथ विवाह करने के संबंध में बताया है। वर्तमान आरोपीगण तिलका एवं राजेश के द्वारा

पीडिता को मोटरसाइकिल से बैठाकर डबरा ले जाना और वहाँ से उसे सीकरी जिला जालोन उसके बाद उसे स्योडा राजेश के घर पर लाना और आरोपी तिलका के द्वारा उसे ग्राम तोर ले जाना अभियोक्त्री के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में स्पष्ट रूप से बताया है। इस संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा भी अभियोक्त्री को यह सुझाव दिया गया है कि वह आरोपी के साथ जाते हुए डबरा, स्योडा, कोंच और तोर में चिल्लाई नहीं थी और किसी को अपनी सहायता के लिए नहीं कहा था। उक्त तथ्य भी इस बात की पुष्टि करता है कि आरोपीगण ही उसे विभिन्न स्थानों पर ले गए थे।

28. उक्त नावालिंग अभियोक्त्री को विवाह करने हेतु विवश या बिलुब्ध करने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में प्रतिपरीक्षण कंडिका 10 में अभियोक्त्री ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उसकी शादी आरोपी तिलका के साथ हुई थी और उसकी पत्नी बनकर उसके साथ रहती थी और इसी कंडिका में उसके द्वारा बताया गया है कि कोंच में राजेश के साथ उसका फोटो खिंचाई गई थी और माला डाल दी गई थी तथा महिलाओं के कपडे पहना दिये गए थे जिससे कि उसके साथ शादी मानी जा सके। इसी कंडिका में बचाव पक्ष के द्वारा सुझाव दिए जाने पर तिलका को बचाने के लिए कि वह शादीशुदा नहीं है उसे सजा न हो जाए इसलिए घटना राजेश के द्वारा की जानी लिखाई गई है, जिसे कि अभियोक्त्री ने स्वीकार किया है और उसके द्वारा स्वतः में स्पष्ट किया है कि राजेश ने भी उसके साथ बुरा काम किया था। चूंकि राजेश शादीशुदा था वह तिलका को बचाना चाहता था इस कारण राजेश का ही नाम लिखाया गया था। उक्त सुझाव जो कि स्वयं बचाव पक्ष के द्वारा दिया गया है भी इस बात की पुष्टि करता है कि अभियोक्त्री को आरोपी राजेश एवं तिलका विभिन्न स्थानों पर ले गए थे एवं अभियोक्त्री जो कि नावालिंग है को विवाह करने के लिए विवश व विलुब्ध किया गया था और विवाह करने का नाटक भी किया गया था।

29. जहाँ तक आरोपीगण के द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करने का प्रश्न है, इस संबंध में अभियोक्त्री के द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि ग्राम सीकरी पहुँचकर आरोपी राजेश और तिलका ने उसके साथ उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती गलत काम किया और उसके साथ बलात्कार किया और उसे धमकी भी दी गई। स्योडा में भी आरोपी राजेश व तिलका ने उसके साथ गलत काम बलात्कार किया था। ग्राम तोर जहाँ कि आरोपी तिलका रहने वाला है वहाँ पर भी उसने उसे अपने घर में रखा था और वहाँ पर भी उसके साथ बलात्कार उसकी मर्जी के खिलाफ गलत काम किया था। उपरोक्त संबंध में अभियोक्त्री के मुख्य परीक्षण में जो कथन हुए हैं वह प्रतिपरीक्षण में किसी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं होते हैं।

30. निश्चित तौर से अभियोक्त्री जो कि 15-16 साल के बीच की अल्पवय है।

आरोपीगण जो कि आरोपी राजेश शादीशुदा था और उसके साथ आरोपी तिलका भी साथ में था और दोनों के द्वारा साथ में रहते हुए घटना को अंजाम दिया गया है और दोनों के द्वारा अभियोक्त्री को अपने साथ विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया और उसके साथ संभोग किया जाना अभियोक्त्री के साक्ष्य कथन से स्पष्ट होता है।

31. अभियोक्त्री के कथन की सम्पुष्टि अभियोजन साक्षी अ0सा0 2 जो कि अभियोक्त्री का पिता है तथा अभियोजन साक्षी अ0सा0 10 जो कि अभियोक्त्री की माँ है के कथनों से भी होती है। यद्यपि उक्त साक्षीगण घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं, किन्तु अभियोक्त्री जो कि उनकी पुत्री है के द्वारा बापस आने के पश्चात् उन्हें यह बताया गया कि आरोपी राजेश और तिलका उसे ले गए थे जो कि उसे मोटरसाइकिल से डबरा और अन्य सीनों पर ले गए और उनके द्वारा आरोपी तिलका और राजेश से उसके साथ बलात्कार किया था। आरोपी तिलका उसे अपने गांव ग्राम तोर भी ले गए थे और उसे धमकी भी उनके द्वारा दी गई थी। इसी प्रकार का कथन साक्षिया अ0सा0 10 जो कि अभियोक्त्री की माँ है के कथनों में भी आया है। निश्चित रूप से घटना के पश्चात् आपस आने पर पीडिता के द्वारा उसके साथ हुई घटना के संबंध में उसे बताया गया है जो कि उनके द्वारा किये गए कथन सुसंगत है। उक्त साक्षिया के प्रतिपरीक्षण उपरांत इस संबंध में उनके द्वारा किया गया कथन किसी प्रकार से प्रतिकूलित होना नहीं माना जा सकता है। उक्त साक्षियों के कथनों के आधार अभियोक्त्री के साथ आरोपी राजेश और तिलका के द्वारा की जानी बताई गई घटना के संबंध में अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होती है।

32. आरोपी राजेश को संभोग करने में सक्षम होना चिकित्सक डॉक्टर बी.एस. कुशवाह अ0सा0 5 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है और उसके चड्डी व सीमन स्लाइड तैयार करना भी बताया है। इस संबंध में मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 8 पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है।

33. अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.सी.1 के आधार पर भी होती है, जिसमें कि अभियोक्त्री की पेंटी ए2 तथा आरोपी राजेश की चड्डी और स्लाइड में वीर्य के धब्बे होने पाए गए हैं। यह उल्लेखनीय है कि पीडिता जो कि 15-16 वर्ष के बीच की उम्र की होनी पाई गई है जो कि विवाहिता भी नहीं है उसकी पेंटी में वीर्य के धब्बे मानव शुक्राणु होने पाए गए हैं जो कि इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसके साथ संभोग हुआ है।

34. इस संबंध में धारा 114(ए) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान भी उल्लेखनीय है, जिसमें अभियोक्त्री की सहमति के संबंध में उपधारणा के संबंध में प्रावधान

किया गया है। वर्तमान प्रकरण की अभियोक्त्री प्रथमतः तो सहमति देने में सक्षम नहीं थी, इसके अतिरिक्त उसके द्वारा स्पष्ट रूप से अपने कथनों में बताया है कि उसके साथ जबरदस्ती की गई थी एवं धमकी दी गई थी। इस प्रकार सहमति का तथ्य भी विद्यमान होना नहीं कहा जा सकता है।

35. बचाव पक्ष अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह व्यक्त किया है कि यदि अभियोक्त्री के साथ संभोग की कोई घटना हुई भी है तो वह आरोपी राजेश के साथ उसकी मर्जी से होना अभियोक्त्री पुलिस कथन में बता रही है, अभियोक्त्री के द्वारा बढा-चढाकर बाद में सिखाए पढाए जाने पर न्यायालय में कथन किया जा रहा है, उसके कथनों में तात्त्विक प्रकार का विरोधाभास बिसंगति व लोप आया है इस आधार पर अभियोक्त्री के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अभियोक्त्री के साथ बलात्कार होने की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर भी नहीं होती है और घटना के संबंध में किसी अन्य साक्ष्य से भी पुष्टि नहीं होती है, उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई चोटें पाई जाना भी चिकित्सक के द्वारा नहीं बताया गया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट बिलंबित है। विवेचना की कार्यवाही के आधार पर भी अपराध घटित होने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

36. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। चिकित्सक डॉक्टर साधना पाण्डेय अ0सा0 4 जिन्होंने कि अभियोक्त्री का परीक्षण किया है। परीक्षण में उन्होंने आहत के स्तन बिकसित होना और हायमन अनुपस्थित होना एवं हायमननटेग 2,5,7,10 ओ क्लोक की पोजीशन में थे। उसके द्वारा तथा गुप्तांगों पर कोई चोट नहीं पाई गई थी। बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित अभिमत न दे सकना अभिकथित किया है। उनके द्वारा पीडिता के प्यूबिक हेयर, बेजायनल स्वाव व स्लाइड, चड्डी तथा पेट्रीकोट जप्त कर शीलबंद कर परीक्षण हेतु संबंधित आरक्षक को सौंपे थे। रिपोर्ट प्र.पी. 7 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना उनके द्वारा बताया गया हैं प्रतिपरीक्षण में साक्षिया ने यह भी बताया है कि कोई व्यक्ति जबरदस्ती संभोग करे तो शरीर व गुप्तांगों में चोटें आ सकती है।

37. यद्यपि डॉक्टर साधना पाण्डेय अ0सा0 4 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया गया है कि पीडिता के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे तथा बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित अभिमत दिया जा सकता है। किन्तु मात्र इस आधार पर कि चिकित्सक के द्वारा बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित अभिमत न दे पाना बताया गया है। इससे अभियोक्त्री की साक्ष्य का स्तर कम नहीं माना जा सकता। जैसा कि इस संबंध में **प्रेमप्रकाश सि0 स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 277** इसी प्रकार अभियोक्त्री के शरीर पर चोट न होना पाए जाने का जहाँ तक प्रश्न है। मात्र इस आधार पर कि अभियोक्त्री

के शरीर पर या उसके निजी अंगों पर कोई चोट नहीं पाई गई थी, अभियोक्त्री के कथन तथा प्रकरण की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं उठाया जा सकता। अभियोक्त्री के शरीर पर चोट मौजूद होना बलात्कार के आरोप की प्रमाणित करने के लिए अनिवार्य तत्व भी नहीं है। जैसा कि इस संबंध में **राजेन्द्र उर्फ राजू वि० स्टेट ऑफ हिमाचलप्रदेश ए.आई.आर. 2009 एस. 3022 एवं सोहन सिंह वि० स्टेट ऑफ बिहार (2010)1 एस.सी.सी. 688** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अभियोक्त्री के शरीर पर बाहरी या भीतर चोट न पाए जाने मात्र से उसका कथन अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

38. अभियोक्त्री के कथन में उसके प्रतिपरीक्षण में आए हुए विरोधाभास, बिसंगति एवं लोप का जहाँ तक प्रश्न है, उसके प्रतिपरीक्षण में जो विरोधाभास, बिसंगति या लोप आया है वह तात्त्विक प्रकार की होनी नहीं कही जा सकती। इस संबंध में **राधू वि० स्टेट ऑफ एम.पी. 2007 सी.आर.एल.जे. 704** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिधारित किया है कि अभियोक्त्री के कथनों में आयी हुई छोटी मोटी कमियाँ और विरोधाभास के आधार पर उसके सम्पूर्ण कथन को खारिज नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार **प्रेमप्रकाश वि० स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर 2011 एस.सी. 2677** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभिधारित किया गया है कि साक्षी के कथन को पूरा पढ़ा जाना चाहिए। ऐसे विरोधाभास जो कि अभियोक्त्री के कथनों को अविश्वसनीय नहीं बनाते हैं व तात्त्विक नहीं होते हैं।

39. बलात्कार के मामलों में अभियोक्त्री की साक्ष्य कथन की स्थिति एवं उसके मूल्य का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में उसकी स्थिति आहत साक्षी से भी उच्च स्तर की होती है, जैसा कि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **स्टेट ऑफ पंजाब वि० रामदेव (2004)1 एस.सी.सी. 421** में अभिधारित किया गया है। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **पुष्पांजली साहू वि० स्टेट ऑफ उड़ीसा(2012)9 एस.सी.सी. 705** में यह अभिधारित किया है कि अभियोक्त्री जो कि बलात्कार के अपराध की पीडिता है उसकी स्थिति सहअपराधी की नहीं होती है, उसके साक्ष्य पर विचार करते समय साक्ष्य की प्रबलता एवं संभावनाओं के संबंध में विचार किया जाना चाहिए। यदि साक्ष्य की प्रबलता अपराध गठित करने के संबंध में इंगित करता है तो अपराध प्रमाणित माना जा सकता है। बलात्संग के अपराध मात्र किसी महिला के प्रति अपराध न होकर सम्पूर्ण समाज के लिए अपराध है। ऐसे प्रकरणों में न्यायालय को अधिक संवेदनशील होकर विचार करना चाहिए।

40. इस प्रकार यद्यपि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट बिलम्ब से दर्ज कराई गई

है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि घटना जो कि बलात्कार से संबंधित है की रिपोर्ट दिन विलम्ब से की गई हो यह अभियोजन प्रकरण को संदिग्ध मानने का कोई कारण या आधार नहीं हो सकता। बलात्कार के मामलों में महिला जिसके साथ अपराध हुआ है और जिसमें कि परिवार की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न निहित रहता है। इस प्रकार के मामलों में विलम्ब अस्वभाविक नहीं कही जा सकती। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **सतपाल सिंह वि० स्टेट ऑफ हरियाणा (2010)8 एस.सी.सी. 7141 एवं सोहनसिंह वि० स्टेट ऑफ बिहार (2010)1 एस.सी.सी. 68** में यह अभिधारित किया गया है कि बलात्कार के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब होने एक सामान्य बात है इस कारण इस प्रकार के मामलों में एफ.आई.आर विलम्ब से दर्ज होना घातक नहीं माना जा सकता। अभियोक्त्री जिस पर ऐसा अपराध किया गया है जिसकी दशा पर भी विचार करना चाहिए। ऐसी दशा में अभियोक्त्री के द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन विलम्ब से दर्ज कराई जाने के आधार पर अभियोजन प्रकरण की विश्वसनीयता संदेहास्पद नहीं मानी जा सकती।

41. बचाव पक्ष के द्वारा अन्य यह आधार लिया गया है कि अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण हितबद्ध साक्षी हैं जिनके कथन विश्वास किया जाने योग्य नहीं है। बलात्संग के मामलों में अभियोक्त्री की साक्ष्य की स्थिति का जहाँ तक प्रश्न ऐसी मामलों में यदि अभियोक्त्री का कथन विश्वास योग्य होना पाया जाता है तो वह प्रकरण प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है, उसके साक्ष्य की पुष्टि होना आवश्यक नहीं है। जैसा कि इस संबंध में **स्टेट ऑफ यू.पी. वि० छोटेलाल ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 679, विजय उर्फ चीनी वि० स्टेट ऑफ एम.पी. (2010)8 एस.सी.सी. 399, भूपेन्द्र शर्मा वि० स्टेट ऑफ हिमाचलप्रदेश (2003) एस.सी.सी. 551** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। मात्र इस आधार पर कि अभियोजन साक्षी अभियोक्त्री के परिवार के हैं उन्हें हितबद्ध मानते हुए इस संबंध में कोई भी प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं हो सकता।

42. जहाँ तक विवेचना अधिकारी के द्वारा विवेचना में की गई कमी का प्रश्न है। यद्यपि विवेचना के दौरान जप्ती की कार्यवाही एवं विवेचना की कार्यवाही के दौरान कमियाँ आई हैं और कुछ लोप हुआ है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि विवेचना अधिकारी के द्वारा विवेचना की कार्यवाही में कोई लोप किया गया हो या कोई डिफेक्टिव विवेचना की गई है सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण को अविश्वसनीय या बनावटी मानने का आधार नहीं हो सकता है। इस संबंध में **1995 सी.आर.एल.जे. कर्नेलसिंह वि० स्टेट ऑफ एम.पी., 1947 सी. आर.एल.जे. 4397 छोटेशिंह वि० स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2004(3) एस.सी.सी. 654**

उल्लेखनीय है, जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभिधारित किया गया है कि मात्र विवेचना अधिकारी के द्वारा विवेचना के दौरान कोई कमी छोड़ी गई है तो वह सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण को अविश्वसनीय मानने अथवा आरोपीगण को दोषमुक्त करने का आधार नहीं हो सकता। मात्र डिफेक्टिव इन्वेस्टीगेशन की कार्यवाही में कोई कमी होने से इस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस संबंध में **2007 सी.आर.एल.जे. 2736 मानो वि० स्टेट ऑफ तमिलनाडू तथा 2008 सी.आर.एल.जे. 816 उमर मोहम्मद वि० स्टेट ऑफ राजस्थान** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभिधारित किया गया है। इस प्रकार विवेचना की कार्यवाही डिफेक्टिव होने के आधार पर अभियोजन प्रकरण की विश्वसनीयता संदेहास्पद नहीं मानी जा सकती।

43. आरोपीगण पर भारतीय दण्ड संहिता के उपरोक्त आरोप के अतिरिक्त लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोप लगाया गया है जो कि धारा 4 का आरोप है। इस संबंध में अभियोक्त्री के द्वारा स्पष्ट रूप से अपने साक्ष्य में यह बताया गया है कि आरोपी राजेश और तिलका के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। घटना के समय अभियोक्त्री 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिग होना भी प्रमाणित पाया गया है। इस संबंध में धारा 29 व 30 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 उल्लेखनीय है। उक्त अधिनियम की धारा 29 इस आशय का प्रावधान करती है कि यदि धारा 3, 5, 7, व 9 का अपराध करने अथवा अपराध के दुष्प्रेरण करने के संबंध में अभियाग चल रहा हो तब विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगी कि उस व्यक्ति के द्वारा ही अपराध किया गया है अथवा उस अपराध के दुष्प्रेरण किया गया है, जबतक कि अन्यथा प्रमाणित न कर दिया जाए। इसी प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति की आपराधिक मानसिक स्थिति के बारे में उपधारणा के संबंध में प्रावधान किया गया है और बचाव पक्ष को यह प्रमाणित करना होगा कि उसकी इस प्रकार की मानसिक स्थिति नहीं थी।

44. वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, पीडिता के स्पष्ट रूप से उसके साथ लैंगिक अपराध कारित करने के संबंध में बताया गया है जिसका कि कोई प्रतिखण्डन होना नहीं पाया गया है। ऐसी दशा में उक्त अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार यह उपधारणा की जाएगी कि अपराध आरोपीगण के द्वारा ही किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत उसके अपराध करने की मानसिक स्थिति होना भी मानी जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में आरोपीगण के द्वारा धारा 3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध भी प्रमाणित होना पाया जाता है।

45. बचाव पक्ष के द्वारा आरोपियों को अभियोक्त्री के द्वारा घटना में झूठा लिप्त

किये जाने का आधार लिया गया है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा साक्षी जगराम जो कि आरोपी तिलका का पिता है व०सा० 1 का कथन कराया गया है जिसके द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया गया है कि आरोपी राजेश कभी भी पीड़िता लेकर उनके घर नहीं आया और वह स्योडा में अपने परिवार के साथ रहता है, उसके लडका तिलकसिंह अहमदाबाद में मजदूरी करता है और 6 साल से वहीं कार्य कर रहा है, उन्हें रंजिशन झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्क में यह भी व्यक्त किया गया है कि अभियोजन को अपना मामला अपनी साक्ष्य के आधार पर संदेह से परे प्रमाणित करना होगा तथा आए हुए विरोधाभस एवं बिसंगतियों को स्पष्ट करना होगा। आरोपी तिलकसिंह के संबंध में बचाव पक्ष अधिवक्ता केद्वारा अपने तर्क में यह व्यक्त किया कि उक्त आरोपी तिलकसिंह का कहीं भी घटना में शामिल होने के संबंध में अभियोक्त्री के पुलिस कथन अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए धारा 164 दं.प्र.सं. के कथनों में उल्लेख नहीं आया है। उक्त आरोपी तिलकसिंह को बाद में सोच समझकर न्यायालय में हुए साक्ष्य के दौरान अभियोक्त्री एवं उसके माता पिता के द्वारा उसका नाम घटना कारित करने वालों में बताया गया है, इस प्रकार अभियोजन प्रकरण की विश्वसनियता संदिग्ध है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा **2011 (2) एस.सी.सी. (किमिनल) 439 तथा 2011 (1) एस.सी.सी. (किमिनल) 688** की नेट कॉपी पेश की गई है।

46. उपरोक्त संबंध में बचाव साक्षी जगराम व०सा० 1 के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, निश्चित तौर से उक्त साक्षी जो कि आरोपी तिलका का पिता है और जो कि अपने पुत्र एवं अन्य आरोपी राजेश जो कि उसका दामाद है उन्हें बचाने के लिए हितबद्ध पक्षकार है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के आधार पर कहीं भी ऐसा दर्शित या प्रमाणित नहीं हुआ है कि आरोपीगण को पीड़िता के द्वारा घटना में किसी रंजिशन के कारण या अन्य किन्हीं कारणों से झूठा लिप्त किया जा रहा हो अथवा झूठा लिप्त करने में कोई हितबद्धता है, ऐसी दशा में बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया आधार कि घटना के संबंध में आरोपीगण को झूठा लिप्त किया जा रहा हो मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

47. यद्यपि यह सत्य है कि अभियोक्त्री के पुलिस कथन के दौरान अथवा न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए कथन में केवल आरोपी राजेश के संबंध में उल्लेख आया है। आरोपी तिलका के बारे में उसने कोई बात नहीं बताई है, किन्तु अभियोक्त्री के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि उसने पुलिस के समक्ष जैसा बताया था पुलिस ने उस तरह से नहीं लिखा था और जब मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका कथन हो रहा था तो उस समय भी वह आरोपियों के धमकी से प्रभावित थी। उसने निश्चित तौर से अपने साक्ष्य

में स्पष्ट रूप से आरोपी तिलका के भी सम्पूर्ण घटना में शामिल होने के संबंध में और घटना कारित करने के बारे में उसके द्वारा बताया गया है और इस परिप्रेक्ष्य में धारा 319 दं.प्र.सं. के अंतर्गत आरोपी तिलका को तलब करने का आदेश दिया गया है। उसकी ओर से अभियोक्त्री, उसके माता पिता का प्रतिपरीक्षण भी किया गया है जो कि अभियोक्त्री के प्रतिपरीक्षण में कहीं भी आरोपी तिलका के संबंध में उसके द्वारा किया गया कथन प्रतिखण्डित नहीं होता है, बल्कि स्पष्ट रूप से आरोपी तिलका के भी घटना में शामिल होने के संबंध में साक्ष्य आई है। ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर कि आरोपी तिलका को बाद में धारा 319 दं०प्र०सं० के प्रावधानों के अनुसार आरोपी बनाया गया है उसके संबंध में अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है।

48. अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत पूर्व वर्णित न्यायिक दृष्टांतों का जहाँ तक प्रश्न है, उनमें माननीय न्यायालय के द्वारा प्रकरण की प्रमाणिकता के संबंध में और साक्षियों के साक्ष्य मूल्य के संबंध में बताया गया है। वर्तमान प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता संदेह के परे प्रमाणित है। इस संबंध में साक्षियों के कथनों में विरोधाभास एवं बिसंगतियाँ हैं जिनके संबंध में पूर्व में विवेचना की जा चुकी है, उस आधार पर भी अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद मानने का कोई आधार नहीं है। ऐसी दशा में बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत की तथ्य, परिस्थितियाँ वर्तमान प्रकरण से भिन्न हैं उनके आधार पर बचाव पक्ष को कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।

49. उपरोक्त घटना जिसमें कि अभियोक्त्री के साथ बलात्कार होना भी बताया गया है। बलात्कार की घटना में आरोपी राजेश एवं तिलका के द्वारा उसे ले जाकर उसके साथ विभिन्न स्थानों पर बलात्कार करने के संबंध में स्पष्ट रूप से साक्ष्य आई है। घटना में आरोपी तिलका एवं राजेश एक साथ संयुक्त रहे हैं और प्रकरण में आई हुई साक्ष्य तथा प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त दोनों के द्वारा अभियोक्त्री के साथ संभोग करने का सामान्य आशय निर्मित किया गया और उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए उक्त दोनों के द्वारा उक्त नावालिग बालिका के साथ संभोग कर उसके साथ बलात्कार किया, जो कि उनका कृत्य निश्चित रूप से सामूहिक बलात्कार की श्रेणी में आता है।

50. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि घटना दिनांक 07.06.2014 या उसके करीब आरोपीगण के द्वारा अभियोक्त्री जो कि नावालिग है को उसके पिता की विधिपूर्ण

संरक्षिता से उसकी सम्मति के बिना ले जाकर उसका व्यपहरण किया। यह भी प्रमाणित होना पाया जाता है कि उक्त दिनांक या उसके करीब आरोपीगण के द्वारा उक्त पीडिता का व्यपहरण अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने या यह संभाव्य जानते हुए कि यदि संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध किया जाएगा या उसे विवाह करने हेतु विवश विलुब्ध किया जाएगा उसका व्यपहरण किया। अभियोजन साक्ष्य के आधार पर यह भी प्रमाणित होता है कि दिनांक 07.06.2014 के पश्चात् से दिनांक 21.07.2014 के बीच आरोपीगण के द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करने का सामान्य आशय निर्मित करते हुए उसके अग्रसरण में कार्य कर विभिन्न स्थानों पर उसके साथ सामूहिक बलात्संग किया। यह भी प्रमाणित होना पाया जाता है कि आरोपीगण के द्वारा नावालिग स्त्री के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया जो कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के अंतर्गत दण्डनीय है।

51. तदनुसार आरोपी राजेश जाटव और आरोपी तिलकसिंह को धारा 363, 366, 376 (डी) भा०द०वि० एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप का दोषी पाया जाता है।

52. दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय अस्थाई रूप से स्थगित किया जाता है।

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला-जिला भिण्ड

पुनश्चय:-

53. दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण राजेश व तिलका के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की आरे से अपर लोक अभियोजक को सुना गया। अपर लोक अभियोजक का ने यह व्यक्त किया कि आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित अपराध गंभीर प्रकार का है जो कि एक सामाजिक अपराध है। ऐसी दशा में विधि द्वारा प्रावधानिक अधिकतम दण्ड अधिरोपित किये जाने का निवेदन किया है। जबकि आरोपीगण अधिवक्ता निवेदन है कि आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित प्रथम अपराध है, उनके विरुद्ध कोई पूर्व की दोषसिद्धि भी नहीं है। आरोपी राजेश शादीशुदा होकर उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। ऐसी दशा में

दण्ड के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निवेदन किया है।

54. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आरोपीगण राजेश एवं तिलका के विरुद्ध को धारा 363, 366, 376डी एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में दोषसिद्ध पाया गया। आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित अपराध जो कि सामूहिक बलात्संग का अपराध भी प्रमाणित है। प्रमाणित अपराध सामान्य श्रेणी का अपराध नहीं है, बल्कि वह इस प्रकार का अपराध है जो कि पूरे समाज को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार के अपराधों से समाज की नैतिकता भी प्रभावित होती है। इस प्रकार के अपराधों में दंड अपराध के अनुपातिक होना अपेक्षित है।

55. आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान के अतिरिक्त लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के अंतर्गत भी अपराध प्रमाणित होना पाया गया है। इस संबंध में धारा 42 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वैकल्पिक दण्ड के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई अपराध भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत और लैंगिक अपराधों के अंतर्गत किसी को दोषसिद्ध पाया गया है तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में कोई बात होते हुए भी आरोपी को उनमें से गुरुत्तर दण्ड के लिए दाई होगा। आरोपीगण के विरुद्ध धारा 376डी भा०द०वि० का अपराध प्रमाणित होना पाया गया है जो कि उक्त अपराध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के दण्ड से गुरुत्तर प्रकार का है। ऐसी दशा में धारा 376डी भा०द०वि० के अंतर्गत आरोपीगण को दंडित किया जाना उचित होगा।

56. विचारोपरांत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं इस संबंध में वैधानिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगण राजेश व तिलक को निम्नानुसार दंडित किया जाता है—

| धारा | सजा | अर्थदण्ड | अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 363 भा०द०वि० | 04 वर्ष सश्रम कारावास | 1000 / – रु.(एक हजार) | 01 वर्ष सश्रम कारावास |
| 366 भा०द०वि० | 05 वर्ष सश्रम कारावास | 1000 / – रु(एक हजार) | 01 वर्ष सश्रम कारावास |
| 376डी भा०द०वि० | 20 वर्ष सश्रम कारावास | 10000 / – रु(दस हजार) | 03 वर्ष सश्रम कारावास |

57. आरोपीगण को उपरोक्त धाराओं में प्रदत्त मूल सजाएं साथ साथ भुगताए जाने का आदेश दिया जाता है।

58. आरोपीगण के द्वारा प्रकरण के अन्वेषण, जाँच और विचारण के दौरान न्यायिक

निरोध में बिताई गई सजा की अवधि उसकी मूल सजा में समायोजित की जाए। इस संबंध में धारा 428 दं.प्रं.सं. का निरोध प्रमाणपत्र तैयार किया जाए।

59. आरोपीगण के द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा करने पर उसमें से 24,000/— (चौबीस हजार रूपए) रूपए प्रतिकर के रूप में अभियोक्त्री को दिलाए जाने का आदेश दिया जाता है।

60. प्रकरण में जप्तशुदा अभियोक्त्री एवं आरोपी राजेश की चड्डी, सीमन स्लाइड व प्यूबिक हेयर मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किए जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला—भिण्ड म0प्र0

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला—भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)